

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

क्रमांक/
प्रति

/पीपीयू/07/11/नग्रानि

उज्जैन, दिनांक

तिरूपति कन्ट्रक्शन

3/2, महाकाल वाणिज्यक केन्द्र
उज्जैन

विषय :- ग्राम सावराखेडी सर्वे क्र० 176/1/2/2/3 व 178/1/7 रकबा
0.374 हेक्टर भूमि पर गोडाउन उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 10.2.11

-0-

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि आपके आवेदन दिनांक 10.2.11 द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर एतद् द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन ग्राम सावराखेडी सर्वे क्र० 176/1/2/2/3 व 178/1/7 रकबा 0.374 हेक्टर भूमि पर संलग्न मानचित्र में लाल रंग से किये गये संशोधनों के अनुसार कृषि उपज के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण बाबत स्थल अनुमोदित कर, विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती हैं :-

- 1 संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार भूमि के सामने विद्यमान मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर रखी जावे अतः विद्यमान मार्ग के मध्य से न्यूनतम 6.0 मीटर दूरी तक भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ने के पश्चात संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार मार्ग विस्तार के पश्चात सीमांत खुला क्षेत्र छोड़ना आवश्यक होगा।
- 2 यह अनुज्ञा केवल कृषि उपयोग के अन्तर्गत कृषि उपज के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण उपयोग हेतु दी जा रही है, इसे किसी भी प्रकार के उपविभाजन की अनुमति नहीं माना जावे।
- 3 प्रस्तावित गोदाम परिसर में पार्किंग हेतु पर्याप्त सुरक्षित क्षेत्र रखना आवश्यक होगा।
- 4 प्रस्तावित भूमि का भू-व्यपवर्तन म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 (संशोधन अधिनियम क्र० 22 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन से उनके नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत कराना होगा।
- 5 भूतल पर निर्मित क्षेत्र संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार एवं भवन की उँचाई 6.5 मीटर से अधिक मान्य नहीं होगा।

- 6 म0प्र0 ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण) आदर्श उपविधियों 1999 के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत, सावराखेडी से प्राप्त करना होगी।
7. किसी भी प्रकार के विकास / निर्माण कार्य करने से पूर्व समस्त संबंधित विभागो/संस्थाओ से नियमानुसार अनुमति/अनापत्ती प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. यह अनुज्ञा पत्र के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध रहेगी। समयावधि में विकास/निर्माण कार्य सम्पन्न न होने पर समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निश्चित समयावधि के पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 9 भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावें तथा इस अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
- 10 संलग्न अभिन्यास को भू-स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें।
- 11 निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-
 - 1 नजूल अधिकारी।
 - 2 सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा, उज्जैन।
 - 3 अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई अनुमति किसी विभाग से प्राप्त करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें।
- 12 किसी भी प्रकार के भूमि स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत की जा सकेगी।

संलग्न :- एक अनुमोदित मानचित्र


dep

ed
उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन
उज्जैन दिनांक 21-3-2011

पृष्ठा. क्र. 726/पीपीयू/07/11/नग्रानि
प्रतिलिपि :-

- 1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

2. सरपंच, ग्राम पंचायत सावराखेडी जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला पंजीयक, जिला उज्जैन की ओर अग्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2010-11 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार विषयांकित भूमि का मूल्य रूपये 7,46,000/-प्रति हेक्टर की दर के मान से विकास अनुज्ञा शुल्क जमा कराया गया है। यदि दर इससे भिन्न हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।
4. वेबसाईड प्रति
संलग्न :- एक अनुमोदित मानचित्र


उप सचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन